INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 3

भारत + विश्व + राजस्थान की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp Link- https://wa.link/uwc5lp

Online Order Link- https://bit.ly/3X6MGue

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

	भारतीय अर्थव्यवस्था	
क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ नंबर
1.	आर्थिक संवृद्धि एवं विकास	1
2.	कृषि उत्पादकता और प्रगति	15
3.	औद्योगिक नीति और सुधार	27
4.	सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना	45
5.	ऊर्जा संसाधन	57
6.	अंतराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन	77
7.	सार्वजनिक वित्त व संघीय बजट	99
8.	केंद्र- राज्य वित्तीय संबंध	113
9.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और मौद्रिक प्रबंधन	118
10.	सामाजिक क्षेत्र	130
11.	वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ	142
	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य	150
2.	कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे	163
3.	आधारभूत-संरचना का विकास	186
4.	ग्रामीण विकास	190
5.	पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन	196
6.	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	200
7.	शिक्षा	203
8.	स्वास्थ्य	215
9.	राजस्थान सरकार की मुख्य जन कल्याणकारी योजनाएं	225

अध्याय – 1

आर्थिक संवृद्धि एवं विकास

आर्थिक विकास

- आर्थिक विकास से आशय इस प्रक्रिया से है जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है |आर्थिक विकास में गैर आर्थिक दर को भी शामिल किया जाता है जैसे शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर,स्वास्थ्य सेवाएं,जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास आदि
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, "विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है,आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है |
- आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योग, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है|
- **सेन** ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था, जबकि **महबूब-उल-हक** ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था |
- अतः आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनः,जैसे- पूँजी, श्रम, तकनीक आदि एक-दूसरे पर ऐसे अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय वृद्धि के कारण क्रय शक्ति भी बढ़ती है |

आर्थिक संवृद्धि (Economic growth):

- आर्थिक संवृद्धि को प्रायः सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद(GNP) एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि के रूप में समझा जाता है | सामान्यतः आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रमशक्ति, उपभोग, पूँजी और व्यापार के विस्तार के साथ होता है| आर्थिक समृद्धि होने पर आर्थिक विकास हो,यह
- आवश्यक नहीं है,किंतु आर्थिक विकास होने पर निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि होती है |
- वर्ष 1970 से 1980 के बीच आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग माना जाता है | आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है |

आर्थिक संवृद्धि दर : निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर 'आर्थिक वृद्धि दर कहलाती है

आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर

आर्थिक विकास	आर्थिक समृद्धि
• आर्थिक विकास से अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आते हैं • आर्थिक विकास के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक,लिंग आधारित सूचकांक, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और साक्षरता आते हैं|	• इससे अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन आता है| • आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को शामिल किया जाता है|

आर्थिक विकास के मापन

आर्थिक विकास के मापन तथा तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करने के पाँच तरीके हैं -

1. आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम
2. जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
3. क्रय-शक्ति समता विधि
4. निवल आर्थिक कल्याण
5. मानव विकास सूचकांक

आय दृष्टिकोण

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- ➢ एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वे निवासी हो या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) कहा जाता है|
- ➢ इसी प्रकार देश के सामान्य नागरिकों द्वारा विदेशों में की गई मूल्य वृद्धि संबंधित देश के सकल घरेलू उत्पाद का भाग है |

एक देश की घरेलू सीमा

- ✓ एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित (Factor Income) को घरेलू आय (अथवा घरेलू उत्पाद) कहा जाता है | अतः हमें घरेलू सीमा की अवधारणा को अवश्य समझ लेना चाहिए |
- ✓ आम बोलचाल की भाषा में एक राष्ट्र की घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमाओं (Political Frontiers) के अंदर के भू - भाग (Territory) से लिया जाता है परन्तु राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है |

इससे निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है

(1) राजनीतिक सीमाओं का भू - भाग जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी सम्मिलित होती है |

(2) देश के निवासियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले वायुयान तथा जलयान । उदाहरण के लिए , जापान तथा कोरिया के बीच नियमित रूप से चलने वाले भारतीय जलयान अथवा इंग्लैण्ड और कनाडा के बीच एयर इंडिया द्वारा चलाए जाने वाली हवाई जहाज भी भारत की घरेलू सीमा के ही अंग हैं।

✓ मछली पकड़ने की नौकाएँ , तेल व प्राकृतिक गैस यान (Rigs) तथा तैरते हुए प्लेटफार्म (Floating Platforms) जो अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं जिनमें दे को तेल खोजने का एकमात्र (Exclusive) अधिकार है । उदाहरण के लिए भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की नौकाओं को हिंद सागर के अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग में चलाना , भारत की घरेलू सीमा का अंग है । उपरोक्त नोट इस स्थिति में भी लागू होता है।

✓ एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास , वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान । उदाहरण के लिए , अमेरिका में भारतीय दूतावास , भारत की घरेलू सीमा का अंग है तथा भारत में अमेरिका का दूतावास अमेरिका की घरेलू सीमा का अंग है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product) ज्ञात करने के लिए GDP में से पूँजी स्टॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।
- गणितीय समीकरण के रूप में , **NDP = GDP = Depreciation**

बाजार कीमत तथा कारक (साधन) लागत की अवधारणा

- ➢ राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत अथवा कारक (साधन) लागत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता हैं ।
- ➢ बाजार कीमत में व्यक्त राष्ट्रीय आय / उत्पाद (अथवा घरेलू आय / उत्पाद) को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा बाजार कीमत पर घरेलू आय) कहा जाता है ।
- ➢ इसी प्रकार , कारक (साधन) लागत के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है ।
- ➢ इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है बाजार कीमत में दो प्रभाव सम्मिलित होते हैं –

(i) आर्थिक सहायता (Subsidies) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत घटती है । (ii) अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत बढ़ती है। कारक लागत , आर्थिक सहायता अथवा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव से मुक्त होती है । तद्नुसार बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा घरेलू आय) को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए निम्नलिखित समीकरण की सहायता ली जाती है ।

- **बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय** - अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय
- आर्थिक सहायता जो बाजार कीमत को कम करती है इसमें जोड़ी जाती है एवं अप्रत्यक्ष कर जो बाजार कीमत को बढ़ाते हैं इसमें से घटाए जाते हैं ।
- उपर्युक्त समीकरण को निम्नलिखित ढंग से भी लिखा जाता है -

  (बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय)

  (शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर – आर्थिक सहायता)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गयी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है ।
- इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़कर लगाया जा सकता है ।

  (GNP = GDP + X – M)

जिसमें

X = देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय

M = विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि X = M है , तो GNP = GDP के होगा । इसी प्रकार जब बन्द अर्थव्यवस्था (Closed economy)) के अन्तर्गत X - M = 0 (शून्य) है तो वहाँ GNP GDP होगा।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए GNP में से पूँजी सटॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।
- **गणितीय समीकरण के रूप में-**

  (NNP = GNP – Depreciation)

राष्ट्रीय आय (National Income)

- जब NNP का मूल्यांकन अथवा मापन साधन लागत पर किया जाता है , तो उसे ही राष्ट्रीयआय के नाम से जाना जाता है।
- इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) में से अप्रत्यक्ष करों को घटाना होता है , जबकि सब्सिडी को जोड़ना होता है । इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product at Factor Cost) अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है।

गणितीय समीकरण के रूप में-

- **[साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय (NI) = बाजार कीमतों पर NNP- अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी (Subsidy)]**
- राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के माँग से होता है । इसमें उन समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है , जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की गई है । इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है । इसे राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है ।

राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं-

1. राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है ।
2. इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है न कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को
3. राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं (Second hand goods) के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है।
4. गृहणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ तथा गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय में अपने बगीचे में सब्जियाँ उगाना जैसे कार्यों को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है ।
5. वित्तीय परिसम्पत्तियों (अंश - पत्र , ऋण - पत्र आदि) का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है , क्योंकि ऐसी क्रियाओं से चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार इसमें मौद्रिक विनिमय (Monetary transactions से प्राप्त आय ; जैसे- शेयर्स तथा ऋण - पत्र (Debentures) को भी सम्मिलित नहीं किया जाता।
6. गैर - कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय (जैसे - जुआ), काला धन अथवा जिस धन को उत्पादकों की लेखा - पुस्तकों (Account books) में नहीं दिखाया जाता को भी सम्मिलित नहीं किया जाता ।
7. एक नागरिक द्वारा विदेश में काम करने वाले अपने पुत्र से प्राप्त राशि तथा एक मोटर साइकिल खरीदने के लिए एक मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज जैसे कार्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता ।
8 इसमें हस्तांतरण भुगतान (जैसे- छाभावृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विदेशों से उपचार।

राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

राष्ट्रीय आय की अवधारणा में तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं

1. पहली, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ वस्तुओं के निरन्तर चलने वाला एक प्रवाह है अर्थात् राष्ट्रीय आय से आशय किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक से नहीं , बल्कि किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है।
2. दूसरी , राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत शामिल की जाती हैं और एक वस्तु की कीमत एक ही बार गिनी जाती है , इसमें अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही गिना जाता है , जिससे दोहरी गणना से बचाव हो सके ।
3. तीसरी , राष्ट्रीय आय की अवधारणा के साथ एक निश्चित समय की अवधि जुड़ी होती है । यह अवधि साधारणतया एक वर्ष की होती है ।

चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय / घरेलू आय

- एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय सेवाओं के बाजार मूल्य को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है । चालू कीमतों से अभिप्राय चालू वर्ष में प्रचलित कीमतों से है ।
- अतः **Y= Q×P** (यहाँ Y= चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, Q = एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, P = लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रचलित कीमत)
- उपर्युक्त समीकरण प्रकट करता है कि Y में वृद्धि तब हो सकती है जब या तो Q में या P में वृद्धि हो ।
- यदि Y में वृद्धि केवल Q में वृद्धि के कारण होती है (P के स्थिर रहने पर) तो इसे Y में **वास्तविक वृद्धि कहा जाएगा।**
- दूसरी ओर यदि Y में वृद्धि केवल P में वृद्धि के कारण होती है (Q स्थिर रहने पर) तो इसे Y में **मौद्रिक वृद्धि कहा जाता है ।**
- Y में मौद्रिक वृद्धि (बिना Q - उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के) का कोई महत्त्व नहीं है । इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती । इससे केवल मुद्रा भ्रांति ' (Money Illusion) उत्पन्न होती है- राष्ट्रीय उत्पाद की उच्च बाजार कीमत की भ्रांति ।

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय / घरेलू आय

- स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमत है ; इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है । आधार वर्ष , तुलना का वर्ष है जब विश्वास किया जाता है । आधार वर्ष , तुलना का वर्ष है जब विश्वास किया जाता है कि समष्टि चर (जैसे - उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर) सामान्य रहते हैं । अतः $Y^* = Q \times P^*$ (यहाँ, Y^* =स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, Q = एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, P^* = आधार वर्ष के दौरान वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रचलित कीमत)
- उपर्युक्त समीकरण प्रकट करता है कि Y^* में वृद्धि तभी हो सकती है जब Q में वृद्धि होती है , क्योंकि p^* स्थिर रहती है। इस कारण जब भी Y^* में वृद्धि होती है तब ऐसा सदैव आय में वास्तविक वृद्धि के कारण होता है ।
- इसका निहितार्थ यह है कि जब Y^* में वृद्धि होती है तब अर्थव्यवस्था में उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है । अथवा

अध्याय – 4

सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना

- **सकल मूल्यवर्धन (GVA) में हिस्सेदारी:** सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्यवर्धन में **आधे से अधिक** का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका हिस्सा बढ़कर **53.6%** हो गया है।
- **स्थिर विकास दर:** इस क्षेत्र ने वर्ष-दर-वर्ष लगभग **7-8% की औसत वार्षिक वृद्धि** दर्ज की है, जो कृषि और उद्योग की तुलना में अधिक स्थिर है।
- **वैश्विक निर्यात में स्थान:** भारत दुनिया में सेवाओं का **7वां सबसे बड़ा निर्यातक** है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़कर 2024 में **4.3%** हो गई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** सेवा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक FDI आकर्षित करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के दौरान, कुल FDI प्रवाह का औसतन **80.2%** हिस्सा इसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ।
- **रोजगार सृजन:** कुल रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग **30%** है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, 60% से अधिक श्रमिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

सेवा क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ (Major Pillars)

1. **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएँ (ITeS):** यह भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करता है। भारत में **1,700 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs)** हैं, जिनमें 19 लाख से अधिक पेशेवर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर सेवाएँ कुल सेवा निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा बनाती हैं।
2. **वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ:** यह उप-क्षेत्र सेवा विकास का एक मुख्य घटक है। **रियल एस्टेट** क्षेत्र अकेले वार्षिक GVA में लगभग **7%** का योगदान देता है।
3. **पर्यटन और आतिथ्य (Tourism & Hospitality):**
   - **घरेलू पर्यटन:** 2024 में इसमें 17.5% की वृद्धि हुई।
   - **चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism):** कम लागत और कुशल पेशेवरों के कारण भारत एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। चिकित्सा पर्यटकों की संख्या 2022-24 के दौरान 6 लाख से अधिक हो गई।
4. **परिवहन और संचार:** परिवहन सेवाएँ GVA में लगभग **4.5%** का योगदान देती हैं। दूरसंचार (Telecom) डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ डेटा की खपत 2014 के 62 MB से बढ़कर 2025 में **25 GB प्रति ग्राहक** हो गई है।

   भारतीय सेवा क्षेत्र को उसकी कार्यप्रणाली और कोविड-19 महामारी के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: **संपर्क-गहन सेवाएँ (Contact-intensive Services)** और **गैर-संपर्क/डिजिटल सेवाएँ (Non-contact/Digitally Delivered Services)**।

1. संपर्क-गहन सेवाएँ (Contact-intensive Services)

ये वे सेवाएँ हैं जिनमें प्रदाता और उपभोक्ता के बीच भौतिक उपस्थिति या आवाजाही (Mobility) की आवश्यकता होती है।

- **प्रमुख उदाहरण:** पर्यटन (Tourism), आतिथ्य (Hospitality/Hotels), परिवहन (Transport) और व्यापार (Trade),।
- **महामारी का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण ये सेवाएँ सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थीं क्योंकि इनमें भौतिक संपर्क अनिवार्य होता है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में ये सेवाएँ धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1:FY26) में 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' जैसे उप-क्षेत्रों की वृद्धि दर मोटे तौर पर महामारी से पहले के औसत के करीब पहुँच गई है।
- **रोजगार में भूमिका:** सेवा क्षेत्र में होने वाले कुल रोजगार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सेवाओं से आता है। नीति आयोग के निष्कर्षों के अनुसार, अधिकांश नई नौकरियाँ व्यापार, आतिथ्य और व्यक्तिगत सेवाओं जैसे कम मूल्य-वर्धित (low value-added) उप-क्षेत्रों में ही सृजित हो रही हैं।

2. गैर-संपर्क या डिजिटल सेवाएँ (Digitally Delivered Services)

ये उच्च-मूल्य वाली, ज्ञान-आधारित सेवाएँ हैं जिन्हें डिजिटल माध्यमों से दूरस्थ रूप से प्रदान किया जा सकता है।

- **प्रमुख उदाहरण:** सूचना प्रौद्योगिकी (IT), वित्तीय सेवाएँ (Financial Services) और पेशेवर सेवाएँ (Professional Services),।
- **महामारी का प्रभाव:** संपर्क-गहन सेवाओं के विपरीत, महामारी के दौरान इन सेवाओं के विस्तार में तेजी आई क्योंकि इन्हें डिजिटल रूप से प्रदान करना संभव था।
- **आर्थिक विकास का इंजन:** वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के आंकड़ों के अनुसार, 'वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ' सेवा क्षेत्र की वृद्धि का मुख्य चालक बनी हुई हैं। इन सेवाओं की वृद्धि दर और सकल मूल्यवर्धन (GVA) में इनकी हिस्सेदारी महामारी से पहले के स्तर से भी अधिक हो गई है।
- **निर्यात में योगदान:** भारत के सेवा निर्यात का 65% से अधिक हिस्सा सॉफ्टवेयर सेवाओं और पेशेवर व प्रबंधन परामर्श सेवाओं से आता है। अकेले सॉफ्टवेयर सेवाएँ कुल सेवा निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा बनाती हैं।

प्रमुख अंतर और वर्तमान रुझान

विशेषता	संपर्क-गहन सेवाएँ	गैर-संपर्क / डिजिटल सेवाएँ
प्रकृति	भौतिक उपस्थिति और गतिशीलता पर निर्भर	ज्ञान-आधारित और डिजिटल माध्यम पर निर्भर
महामारी का असर	नकारात्मक (गंभीर गिरावट)	सकारात्मक (तेजी से विस्तार)
रिकवरी की स्थिति	धीरे-धीरे सामान्यीकरण की ओर	महामारी पूर्व स्तर से बेहतर प्रदर्शन
मुख्य चुनौती	आवाजाही और भौतिक संपर्क पर निर्भरता	कौशल की कमी और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल,

नाममात्र जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत में)

सेवा उप-क्षेत्र	पूर्व-कोविड औसत (FY16-FY20 की पहली छमाही)	H1:FY24	H1:FY25	H1:FY26
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	12.6	13.2	13.7	14.3
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	22.0	23.6	23.7	24.3
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	16.7	15.2	15.1	15.0
कुल सेवा क्षेत्र (Services Sector)	**51.3**	**52.0**	**52.6**	**53.6**

मुख्य बिंदु:

- **कुल योगदान:** वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा बढ़कर **53.6%** हो गया है, जो पूर्व-कोविड स्तरों और पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है,।
- **प्रमुख चालक:** 'वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं' का हिस्सा सबसे अधिक (24.3%) है और इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है।
- **संपर्क-गहन सेवाएँ:** 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' क्षेत्र में भी महामारी के बाद से निरंतर सुधार देखा गया है, जो H1:FY26 में 14.3% तक पहुँच गया है।
- **लोक प्रशासन:** लोक प्रशासन और रक्षा सेवाओं का हिस्सा पूर्व-कोविड स्तर (16.7%) की तुलना में थोड़ा घटकर 15.0% पर स्थिर बना हुआ है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, भारतीय सेवा क्षेत्र के वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (Real GVA) और विभिन्न उप-क्षेत्रों की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि दर का डेटा नीचे दी गई तालिकाओं में प्रस्तुत है:

1. सेवा क्षेत्र सकल मूल्यवर्धन (GVA) की वास्तविक वृद्धि दर

सेवा क्षेत्र ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्थिर प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1:FY26) में इसमें उल्लेखनीय तेजी देखी गई है।

अवधि	वास्तविक GVA वृद्धि दर (%)
दीर्घकालिक औसत (YoY)	**7-8%**
वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (H1:FY25)	**7.0%**
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1:FY26)	**9.3%**

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2025-26, पैराग्राफ 7-3 और 7-11

2. प्रमुख परिवहन संकेतकों की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि दर

परिवहन सेवाओं में विभिन्न माध्यमों की वृद्धि दर को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

संकेतक	पूर्व-कोविड औसत (FY16-FY20)	वित्त वर्ष 2024-25 (FY25)	वित्त वर्ष 2025-26 (Apr-Dec/Nov)*
पोर्ट कार्गो ट्रैफिक	3.9%	4.3%	8.2%
हवाई कार्गो ट्रैफिक	5.9%	10.5%	5.1%
हवाई यात्री यातायात	12.6%	9.4%	3.5%
रेलवे माल ढुलाई	2.0%	1.7%	3.3%

नोटः पोर्ट और रेलवे के आंकड़े अप्रैल-दिसंबर के हैं, जबकि हवाई यातायात के आंकड़े अप्रैल-नवंबर 2025 के हैं।

3. सेवा निर्यात की वृद्धि दर (YoY)

सेवा निर्यात भारत की बाहरी मजबूती का एक मुख्य आधार रहा है। इसकी वृद्धि दर में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं:

निर्यात श्रेणी	पूर्व-कोविड औसत (FY16-FY20)	वित्त वर्ष 2023-25 (औसत)	वित्त वर्ष 2025-26 (Apr-Nov)
कुल सेवा निर्यात	7.6%	14.0%	8.7%
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	4.7%	13.5%	-
व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श	11.9%	25.9%	-

स्रोतः आर्थिक समीक्षा 2025-26, पैराग्राफ 7-18 और चार्ट VII.10b

महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- **H1:FY26 में उछाल:** सेवाओं के वास्तविक GVA में **9.3% की वृद्धि** दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है।
- **सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं का दबदबा:** सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की निर्यात वृद्धि दर कोविड के बाद से दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
- **हवाई यातायात में नरमी:** घरेलू उड़ानों में कुछ बाधाओं और मांग के सामान्यीकरण के कारण हवाई यात्री यातायात की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, भारतीय सेवा क्षेत्र न केवल विकास का इंजन है, बल्कि यह वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में अर्थव्यवस्था को **स्थिरता प्रदान करने वाली एक प्रमुख ताकत** (Stabilising Force) के रूप में उभरा है।

भारत के आर्थिक ढांचे में सेवा क्षेत्र की भूमिका और महत्त्व

1. आर्थिक विकास और स्थिरता का आधार

- **जीडीपी और GVA में योगदान:** सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्यवर्धन (GVA) में **आधे से अधिक** का योगदान देता है,। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1:FY26) में, नाममात्र जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर **53.6%** हो गई है।
- **स्थिर वृद्धि दर:** कृषि और उद्योग में होने वाले चक्रीय उतार-चढ़ाव के विपरीत, सेवा क्षेत्र ने वर्ष-दर-वर्ष **7-8% की स्थिर औसत वार्षिक वृद्धि** दर्ज की है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में इसकी वास्तविक GVA वृद्धि दर **9.3%** रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (7.0%) से अधिक है।

2. वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश में प्रमुखता

- **वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थान:** भारत दुनिया में सेवाओं का **7वां सबसे बड़ा निर्यातक** है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़कर 2024 में **4.3%** हो गई है।
- **विदेशी मुद्रा का स्रोत:** सॉफ्टवेयर सेवाएँ (कुल सेवा निर्यात का 40% से अधिक) और पेशेवर परामर्श सेवाएँ मिलकर कुल सेवा निर्यात का **65% से अधिक** हिस्सा बनाती हैं।
- **FDI का मुख्य गंतव्य:** यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करता है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के दौरान, कुल FDI प्रवाह का औसतन **80.2%** इसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ।

3. रोजगार सृजन और शहरी अर्थव्यवस्था

- **शहरी रोजगार की रीढ़:** सेवा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य आधार है, जहाँ **60% से अधिक शहरी श्रमिक** इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- **कुल रोजगार में हिस्सेदारी:** राष्ट्रीय स्तर पर कुल रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग **30%** है, जो विनिर्माण (11-12%) की तुलना में काफी अधिक है।

4. नवाचार और तकनीकी नेतृत्व

- **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs):** भारत में **1,700 से अधिक GCCs** हैं, जिनमें 19 लाख से अधिक पेशेवर काम करते हैं। यह भारत को एक 'बैक-ऑफिस' गंतव्य से बदलकर एक रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है,।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):** भारत ने 2016-2024 के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में **AI प्रतिभा** में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। AI को अपनाने से सॉफ्टवेयर निर्यात में 44% और व्यावसायिक सेवाओं में 67% तक की वृद्धि होने का अनुमान है,।

5. विनिर्माण का "सेवाकरण" (Servicification of Manufacturing)

- आधुनिक विनिर्माण में डिजाइन, अनुसंधान (R&D), लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं की भूमिका बढ़ रही है। भारत के विनिर्माण निर्यात मूल्य में घरेलू सेवाओं का योगदान लगभग **17.7%** है, जो उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।

6. उभरते हुए महत्त्व के क्षेत्र

- **पर्यटन:** चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) एक बड़ा लाभ बनकर उभरा है, जहाँ पर्यटकों की संख्या 2022-24 के दौरान **6 लाख** से अधिक हो गई है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़े:

संकेतक (Indicator)	अवधि/वर्ष (Period/Year)	डेटा/आंकड़े (Data/Figures)
घरेलू पर्यटक आगमन (Domestic Tourist Arrivals)	वर्ष 2024	**2.9 बिलियन**
घरेलू पर्यटक आगमन	जनवरी-सितंबर 2025	**3.3 बिलियन**
घरेलू पर्यटन वृद्धि दर	जनवरी-सितंबर 2025	**52.7%** (वर्ष-दर-वर्ष)
अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (ITA - Foreign + NRI)	वर्ष 2024	**20.57 मिलियन**
अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में वृद्धि	वर्ष 2024	2019 के स्तर से **14.8% अधिक**
विदेशी पर्यटक आगमन (FTA)	जनवरी-अक्टूबर 2025	**7.0 मिलियन**
विदेशी पर्यटक आगमन में गिरावट	जनवरी-अक्टूबर 2025	**11.8%** (बनाम पिछला वर्ष)
पर्यटन की जीडीपी में हिस्सेदारी	वित्त वर्ष 2023-24	**5.22%**
पर्यटन क्षेत्र द्वारा समर्थित कुल रोजगार	वित्त वर्ष 2023-24	**84.6 मिलियन** (कुल का 13.3%)
पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (FEE)	वर्ष 2024	**35.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर**
चिकित्सा पर्यटकों की संख्या	2022-2024 (औसत)	**6 लाख से अधिक**
चिकित्सा पर्यटन बाजार का आकार	वर्ष 2025 (अनुमानित)	**8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर**
औसत होटल अधिभोग दर (Occupancy Rate)	वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर)	**62.8%**

मुख्य बिंदु:

- घरेलू पर्यटन इस क्षेत्र की स्थिरता का मुख्य आधार बना हुआ है, जिसमें वर्ष 2025 में जबरदस्त उछाल देखा गया है।
- चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) एक उच्च-मूल्य वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसका विदेशी पर्यटकों में हिस्सा 2009 के 2.2% से बढ़कर 2024 में **6.5%** हो गया है।
- होटल अधिभोग दर पिछले तीन वर्षों से लगातार **60% से ऊपर** बनी हुई है, जो इस क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती है।

भारत सरकार की पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं:

1. स्वदेश दर्शन योजना और स्वदेश दर्शन 2.0

- **शुरुआत:** स्वदेश दर्शन योजना वर्ष **2014-15** में शुरू की गई थी। अप्रैल 2022 में इसके दिशा-निर्देशों के साथ इसे **स्वदेश दर्शन 2.0 (SD 2.0)** के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका मूल उद्देश्य विषय-आधारित (थीम-आधारित) पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना था। SD 2.0 का लक्ष्य भारत की पूर्ण क्षमता को साकार करते हुए **'आत्मनिर्भर भारत'** बनाना और स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन गंतव्य विकसित करना है।
- **मुख्य प्रावधान और क्रियान्वयन:**
  - यह **100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित** योजना है।
  - इसके तहत 15 विषयों (जैसे बौद्ध, हिमालयी, वन्यजीव) की पहचान की गई थी।
  - SD 2.0 के तहत **'चुनौती आधारित गंतव्य विकास'** (Challenge Based Destination Development) जैसी उप-योजनाएं शामिल हैं, जो गंतव्य प्रबंधन और नीति सुधारों को एकीकृत करती हैं।

2. प्रसाद (PRASHAD) योजना

- **शुरुआत:** इसे वर्ष **2014-15** में 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** पहचाने गए **तीर्थस्थलों और आध्यात्मिक विरासत स्थलों** पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना और तीर्थयात्रियों के अनुभव को समृद्ध बनाना।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - अक्टूबर 2017 में इसका नाम बदलकर 'प्रशाद' (PRASHAD) कर दिया गया और इसमें विरासत स्थलों को भी शामिल किया गया।
  - अब तक 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में **54 परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई है।

3. धरोहर गोद लें (Adopt a Heritage) योजना

- **शुरुआत:** 'धरोहर गोद लें: अपनी धरोहर अपनी पहचान' परियोजना **27 सितंबर 2017** (विश्व पर्यटन दिवस) को शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्मारकों और विरासत स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास और रखरखाव करना।

अध्याय – 6

अंतरार्ष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) रिपोर्ट 2025 के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है
- जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ के बीच "**सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता**" संपन्न हुआ।
- वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते संपन्न किए।
- भारत ने फरवरी 2026 में इज़राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते का पहला चरण संपन्न किया और जीसीसी के साथ औपचारिक रूप से व्यापार वार्ता शुरू की।
- भारत आसियान, मैक्सिको और कनाडा के साथ अपने व्यापार वार्ता एजेंडे का विस्तार कर रहा है।

विकसित भारत की महत्वाकांक्षा और यात्रा के अनुरूप, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्सेदारी में बड़ा उछाल आने वाला है। पिछले दशकों में, भारत ने मजबूत निर्यात प्रदर्शन, लचीले सेवा व्यापार और व्यापार साझेदारों के विस्तारित नेटवर्क के समर्थन से वैश्विक बाजारों के साथ अपनी एकीकरण को काफी गहरा किया है, जो बदलते वैश्विक मांग गतिशीलता के अनुकूलन और बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

देश ने न केवल वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है बल्कि अपने व्यापारिक साझेदारों को विविधीकृत भी किया है। यूएनसीटीएडी की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार, व्यापार साझेदारों की विविधता सूचकांक के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्तर के सभी देशों से अधिक सूचकांक स्कोर के साथ, भारत का व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र शुल्क अनिश्चितताओं और उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने लचीलापन दर्शाता है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का विस्तार भारत की व्यापार रणनीति को मजबूत करता है, जो विश्वसनीय बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है। ये समझौते निर्यात-उन्मुख फर्मों को उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत होने में सहायता प्रदान करके देश की मजबूत वैश्विक व्यापार उपस्थिति की दिशा को मजबूत करते हैं।

वर्ष 2026 में भारत की व्यापार साझेदारी ने एक नए दौर में प्रवेश किया।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत की व्यापार रणनीति के प्रमुख स्तंभहैं, जो बेहतर बाजार पहुंच, सेवाओं में अधिक व्यापार, गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। व्यापार पूरकताओं का लाभ उठाकर, ये समझौते निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं, उद्योग और किसानों के लिए नई

संभावनाएं पैदा करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन करते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- "सभी सौदों की मां" के रूप में प्रशंसित, जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ताओं का समापन भारत की सबसे रणनीतिक आर्थिक साझेदारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आधुनिक, नियम-आधारित व्यापार ढांचे के रूप में संरचित यह समझौता समकालीन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरी बाजार एकीकरण को सक्षम बनाता है।
- बढ़ी बाजार पहुंचः समझौता यूरोपीय संघ के 97% शुल्क रेखाओं पर प्राथमिकता प्राप्त पहुंच प्रदान करता है, जो 99.5% व्यापार मूल्य को कवर करता है, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए नीति लचीलापन बनाते हुए भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।
- तत्काल शुल्क उन्मूलनः 70.4% शुल्क रेखाओं पर, जो भारत के निर्यात के 90.7% के लिए जिम्मेदार हैं, तत्काल शुल्क उन्मूलन होगा, जो वस्त्र, चमड़ा और जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण तथा चयनित समुद्री उत्पाद जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा।
- चरणबद्ध शुल्क उन्मूलन और प्राथमिकता प्राप्त पहुंचः तीन से पांच वर्षों में शून्य शुल्क 20.3% शुल्क रेखाओं पर लागू होगा जो निर्यात के 2.9% को कवर करता है, जबकि 6.1% शुल्क रेखाओं पर जो निर्यात के 6% को कवर करती हैं, इससे प्रोसेस्ड फूड, संरक्षित सब्जियां, बेकरी आइटम, कारें, स्टील तथा कुछ झींगा और छिलके वाले झींगे उत्पादों के लिए शुल्क कमी या शुल्क-दर कोटा के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त पहुंच मिलेगी।
- श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावाः वस्त्र और परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते, रसायन, प्लास्टिक और रबर, खेल सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-गहन उद्योग, जिनके निर्यात 2.87 लाख करोड़ रुपये (33 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करेंगे, यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में गहरा एकीकरण होगा तथा शुल्क शून्य होने पर रोजगार सृजन होगा

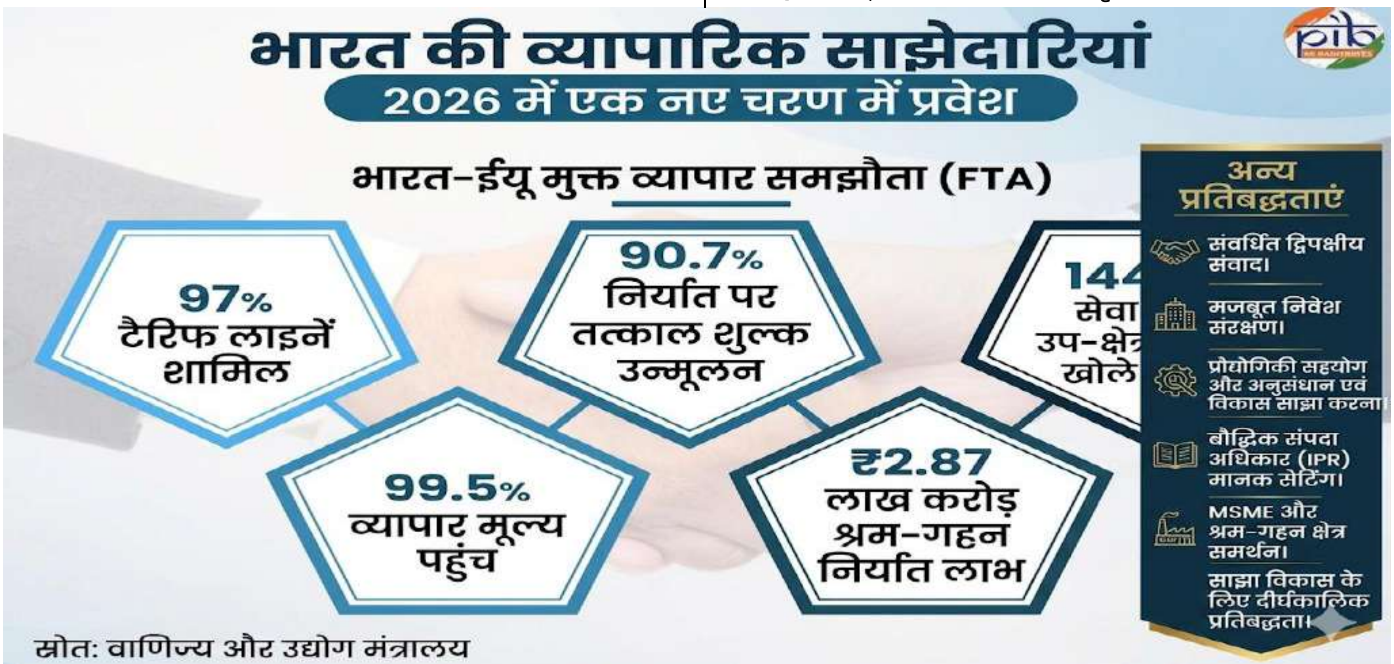

- सेवाओं में बाजार पहुंचः यूरोपीय संघ ने आईटी/आईटीईएस, पेशेवर, शिक्षा और व्यावसायिक सेवाओं
- सहित 144 उपक्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताएं दर्शाई हैं, जिनसे भारतीय सेवा प्रदाताओं को अपने निर्यात विस्तार करने और नवाचार तथा उत्पादकता और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए एक स्थिर वातावरण प्राप्त होगा।
- जो जरुरी है भारत उनको संरक्षण प्रदान करता है
- इन व्यापार समझौतों के तहत सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड उदारीकरण को अपनाया गया है और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए इन्हे डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, अत्यधिक संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित डेयरी, मांस, मुर्गी और अनाज को इन समझौतों से पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

व्यापार सहयोग को अन्य प्रमुख साझेदारियों के साथ आगे बढ़ाना

वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए समाप्त करके अपनी व्यापार संलग्नता को आगे बढ़ाया, जो प्रमुख वैश्विक बाजारों में भारत की आर्थिक साझेदारियों के महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करता है। इन नई समझौतों के साथ, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख व्यापार समझौतों को कार्यान्वित किया है जो निर्यात वृद्धि और निवेश प्रवाह का समर्थन जारी रखते हैं।

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)

भारत ने दिसंबर 2025 में ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो खाड़ी क्षेत्र के साथ आर्थिक संलग्नता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। समझौता भारत के श्रम-गहन क्षेत्रों- जैसे कृषि, वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स - के लिए नई निर्यात संभावनाएं खोलता है, जो रोजगार सृजन का समर्थन करता है तथा कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाता है।

वस्तुओं के लिए बाजार पहुंचः सीईपीए भारतीय वस्तुओं के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्रदान करता ह और, ओमान के 98.08% शुल्क रेखाओं पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है, जो भारत के निर्यात मूल्य के 99.38% के लिए जिम्मेदार हैं।

सेवाओं और गतिशीलता प्रतिबद्धताएंः ओमान ने पहली बार प्रमुख मोड 4 श्रेणियों में अपनी प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं, जो इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, संविदात्मक सेवा प्रदाताओं, व्यावसायिक आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश और ठहराव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रावधान प्रदान करती हैं।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- 2025 में संपन्न भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत के सबसे तेजी से प्रगति कर रहे व्यापार समझौतों में से एक के रूप में खड़ा है, जो दो देशों के बीच आर्थिक संलग्नता को काफी मजबूत करता है। यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच और शुल्क प्राथमिकताओं को बढ़ाता है तथा साझेदारी को व्यापक ओशिनिया और प्रशांत द्वीप बाजारों के गेटवे के रूप में स्थापित करता है।
- किसानों और एमएसएमई के लिए बढ़ी बाजार पहुंचः समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने 100% शुल्क रेखा समाप्त कर दिए हैं और समझौते लागू होने के दिन से सभी भारतीय निर्यात के लिए शुल्क शून्य कर दिए हैं।
- कृषि उत्पादकता साझेदारी के माध्यम से यह समझौता किसानों का समर्थन करने, उत्पादकता सुधारने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।
- इसके अतिरिक्त यह समझौता वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान तथा प्रोसेस्ड फूड जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा देता है।
- निवेश और कार्यबल संभावनाएंः यह एफटीए 15 वर्षों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है, जो दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है।
- यह भारत को कुशल कार्यबल का प्रमुख प्रदाता बनने के अवसर खोलता है, साथ ही आयुष और योग प्रशिक्षकों, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षक सेवाओं में भविष्य के सहयोग के साथ, आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अवसर खोलता है।
- इस सहयोग से पेशेवरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है।

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2025 में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर है। द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, दोनों पक्ष 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं। समझौते से भारत के कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात में अगले तीन वर्षों में 50% से अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

वस्तुओं के लिए बाजार पहुंचः सीईटीए भारत के यूके निर्यात के लगभग 99% पर अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करता है तथा वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो घटकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है।

यूके में भारतीय पेशेवरों के लिए सुगम प्रवेश की गतिशीलता

यूके द्वारा पहली बार किये गए इस समझौते में आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए प्रवेश की गतिशीलता को आसान बनाता है, जो संविदात्मक सेवा प्रदाताओं, व्यावसायिक आगंतुकों, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए सुगम प्रवेश सक्षम बनाता है।

सामाजिक सुरक्षा लाभः समझौते के तहत एक अन्य प्रमुख उपलब्धि डबल योगदान कन्वेंशन है, जो द्वैत सामाजिक सुरक्षा योगदानों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे यूके में काम करने वाली भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत होगी।

इस समझौते के व्यापक प्रावधान बाजार पहुंच का विस्तार करने, निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने तथा भारत और यूके के बीच आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग को गहरा करने की उम्मीद करते हैं।

तक यह लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। 2020-21 में इसे घटाकर 2.8 फीसदी पर लाना चाहिए। 2023 तक इसे और कम करके 2.5 फीसदी तक पहुंचाना चाहिए।

बजट 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को टाल दिया था। इसके लिए उन्होंने एन.के. सिंह कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने लक्ष्य को टालने के लिए सरकार की खिंचाई की थी । उसका कहना था कि यह काम एक्ट में संशोधन के जरिए करना था।

वित्त वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.7 फीसदी तक पहुंच गया । तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजकोषीय घाटे का 4.1 फीसदी का लक्ष्य रखा।

वित्त वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण में उन्होंने राजकोषीय घाटे का रोडमैप पेश किया। इसके तहत वित्त वर्ष 2015-16 में 3.9 फीसदी, वित्त वर्ष 2016-17 में 3.5 फीसदी और वित्त वर्ष 2017-18 में 3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद फरवरी 2018 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.5 फीसदी से घटाकर 3.2 फीसदी कर दिया गया था ।

केंद्रीय बजट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्य और अनुमान निर्धारित किए हैं:

- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का **4.3%** लक्षित किया गया है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान (4.4%) से कम है।
- **राजस्व घाटा (Revenue Deficit):** 2026-27 में राजस्व घाटा GDP के **1.5%** पर लक्षित है, जो कि 2025-26 के संशोधित अनुमान के बिल्कुल समान है।
- **ऋण का लक्ष्य (Debt Target):** एफआरबीएम अधिनियम (संशोधित) के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को कम करके GDP के **50%** तक लाना है।
- **जीडीपी वृद्धि (GDP Growth):** 2026-27 में नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) में **10%** की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

FRBM अधिनियम के तहत, सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 3% या उससे नीचे लाना और केंद्र सरकार के कुल ऋण स्तर को GDP के 40-60% तक सीमित करना है।

अध्याय – 9

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और मौद्रिक प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI भारत की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च नियामक संस्थान है।

RBI का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा देश के आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास

1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग ने भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की।

1934 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम पारित किया गया।

1 अप्रैल 1935 को RBI ने कोलकाता में अपना कार्य प्रारंभ किया।

1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्देश्य

- बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना।
- मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना।
- देश की ऋण एवं मुद्रा प्रणाली का संचालन करना।
- मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संरचना

RBI का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

इसमें शामिल हैं—

- एक गवर्नर
- अधिकतम चार उप-गवर्नर
- विभिन्न क्षेत्रों के दस निदेशक
- चार स्थानीय बोर्डों के चार प्रतिनिधि
- केंद्र सरकार द्वारा नामित दो अधिकारी

RBI के प्रमुख कार्य

मौद्रिक कार्य

मुद्रा जारीकर्ता

RBI को ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ₹1 का नोट भारत सरकार जारी करती है।

सरकार का बैंकर

RBI केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार है।

बैंकों का बैंक

RBI सभी अनुसूचित बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को अपने पास रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करता है।

अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort)

वित्तीय संकट की स्थिति में RBI बैंकों को ऋण प्रदान करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक एवं प्रबंधक है।

मुद्रा एवं ऋण नियंत्रण

RBI रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR तथा खुले बाजार परिचालन जैसे उपकरणों के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

RBI के सामान्य कार्य

- बैंकिंग प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण।
- बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
- उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।

CRR और SLR

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

वह प्रतिशत राशि जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा RBI के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

वह प्रतिशत राशि जो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक भाग स्वर्ण, नकद अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है।

विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्राएँ, स्वर्ण, IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) तथा IMF में आरक्षित स्थिति शामिल होती है।

मुद्रा छपाई एवं सिक्का ढलाई

करेंसी नोटों की छपाई—

- नासिक (महाराष्ट्र)
- देवास (मध्य प्रदेश)
- मैसूर (कर्नाटक)
- सालबोनी (पश्चिम बंगाल)

सिक्कों की ढलाई—

- मुंबई
- कोलकाता
- हैदराबाद
- नोएडा

महत्वपूर्ण तथ्य

- RBI के प्रथम गवर्नर – सर ओसबोर्न स्मिथ
- प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख
- RBI का प्रतीक चिन्ह – बाघ एवं ताड़ का वृक्ष
- ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
- अन्य सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

न्यूनतम आरक्षित प्रणाली

1957 से RBI न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा जारी करता है।

इसके अनुसार RBI को मुद्रा निर्गमन के लिए कम से कम ₹200 करोड़ मूल्य का स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा भंडार रखना आवश्यक है, जिसमें न्यूनतम ₹115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए।

मौद्रिक नीति एवं प्रबंधन

➢ **मौद्रिक नीति की परिभाषा**

- मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति है। इसे क्रेडिट पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रसार का कार्य देखता है।
- मौद्रिक नीतियां दो तरह की होती हैं, यानी विस्तार और संकुचन। जिस नीति में ब्याज दरों को कम करने के साथ-साथ मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है, उसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर, यदि धन की आपूर्ति में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि होती है, तो उस नीति को अनुबंधवादी मौद्रिक नीति के रूप में माना जाता है।
- मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्यों में मूल्य स्थिरता लाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, आर्थिक विकास इत्यादि शामिल हैं। मौद्रिक नीति उन सभी मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनका धन की संरचना, ऋण के संचलन, ब्याज दर संरचना पर प्रभाव पड़ता है। । अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष बैंक द्वारा अपनाए गए उपायों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

सामान्य उपाय (मात्रात्मक उपाय):

- बैंक दर
- रिजर्व आवश्यकताएं यानी सीआरआर, एसएलआर इत्यादि।
- रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट
- खुला बाजार परिचालन
- चयनात्मक उपाय (गुणात्मक उपाय):
- क्रेडिट विनियमन
- नैतिक अनुमय
- प्रत्यक्ष कार्रवाई
- निर्देश जारी करना

प्रवाह में मदद देने तथा रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय तथा शून्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का है।

फोकस के क्षेत्र: सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी वित्तीय सहायता; तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण ।

प्रमुख प्रकाशन: वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक; फिस्कल मॉनीटर; ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ।

विश्व बैंक

संगठन और कार्य

1944 में स्थापित, विश्व बैंक समूह विकासात्मक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय बैंकों और राष्ट्रीय सरकारों के साथ कार्य करता है। संगठन में गरीबी में कमी; विकासात्मक वित्त और शिक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन तक कई क्षेत्रों को शामिल किया है । पिछले 70 वर्षों में, इसने 100 से अधिक विकासशील राष्ट्र में लोगों की मदद की है। विश्व बैंक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में असफलताओं और गरीबी को खत्म करने के लिए है। यह अनुदान, शून्य ब्याज क्रेडिट और कम ब्याज वाले कर्ज या निवेश के साथ - साथ सलाह और प्रशिक्षण देते हैं । वर्तमान समय में, इसके 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं और इसमें पाँच संस्थान आते है । जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) शामिल हैं। संगठन अपनी स्थापना के बाद से 12,000 से अधिक विकास परियोजनाओं में शामिल रहा है। वर्तमान समय में, इसका प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक वैश्विक गरीबी दर को कम करना है। विश्व बैंक का एक अन्य कार्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना है। इनके अलावा, इसके सदस्य प्रायोजक और अन्य आयोजनों में भाग लेते है और संसार की विकास की समस्याओं से निपटते हैं।

IBRD का कार्य

विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम ये कर्ज, अनुदान एवं अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कार्य मध्य और निम्न आय वाले निवेशों में वित्तीय विकास को बढ़ावा देना है। ऋणों के अलावा, यह संस्था किसी परियोजना के प्रत्येक चरण में सलाहकार सेवाएं, जोखिम प्रबंधन उत्पाद और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं । मध्य - आय वाले देशों, जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया में विकास और प्रगति की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वे विदेशी निवेश को आकर्षित करते है और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। फिर भी, वे दुनिया के कुछ सबसे गरीब लोगों के गृह हैं। विश्व बैंक और IBRD की भूमिका इन देशों में निवेश करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान करने की हैं ताकि वे विकास और समस्याएँ से पार पा सकें ।

आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच अंतर

आईएमएफ छोटा है (लगभग 2,300 कर्मचारी सदस्य) और विश्व बैंक के विपरीत, इसका कोई सहयोगी या सहायक नहीं हैं। इसके अधिकांश कर्मचारी सदस्य वाशिंगटन, डीसी में मुख्यालय में काम करते हैं, हालांकि पेरिस, जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में तीन छोटे कार्यालय बनाए हुए हैं। इसके पेशेवर कर्मचारी सदस्यों का अधिकांश भाग अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों के लिए हैं। बैंक की संरचना कुछ अधिक जटिल हैं। विश्व बैंक में ही दो प्रमुख संगठन शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन)। इसके अलावा, विश्व बैंक से कानूनी तौर पर और वित्तीय रूप से अलग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, जो विकासशील देशों में निजी उद्यमों के लिए धन जुटाता है तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (विवाद) और बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी 7,000 से अधिक कर्मचारी सदस्यों के साथ, विश्व बैंक समूह आईएमएफ के रूप से लगभग तीन गुना बड़ा हैं, और दुनिया भर में लगभग 40 कार्यालयों का रख- रखाव करता हैं, हालांकि उनके 95 प्रतिशत कर्मचारी वाशिंगटन, डी. सी. में काम करते है।

विश्व बैंक संचालन

विश्व बैंक गरीब देशों को उन परियोजनाओं और नीतियों के लिए तकनीकी सहातया और धन प्रदान करके विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अस्तित्व में है, जो निवेशों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएँगे। बैंक विकास को दीर्घकालिक, एकीकृत प्रयास के रूप में देखता है । अपने अस्तित्व के पहले दो दशकों के दौरान, बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता का दो तिहाई बिजली और परिवहन परियोजनाओं में चला गया। यद्यपि ये तथाकथित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण हैं, बैंक ने हाल के वर्षों में अपनी गतिविधियों में विविधता दिखाई हैं क्योंकि इसने विकास प्रक्रिया में नए अंतर्दृष्टि से अनुभव प्राप्त किया।

बैंक उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देता हैं जो विकासशील देशों के सबसे गरीब लोगों को सीधे लाभ पहुँचा सकती हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, सूक्ष्म उद्योग और शहरी विकास के लिए उधार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में सबसे गरीब लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक गरीबों को अधिक उत्पादक बनाने और सुरक्षित पानी और स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन सहायता, पोषण, शिक्षा और आवास जैसी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने में मदद कर रहा है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भीतर भी बादलाव हुए हैं। परिवहन परियोजनाओं में, फार्म-टू-मार्केट सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बैंक विशिष्ट परियोजनाओं का समर्थन करके विकासशील राष्ट्रों को अपनी अधिकांश वित्तीय और तकनीकी सहायता देता देता है । हालांकि IBRD

ऋण और आईडीए क्रेडिट विभिन्न वित्तीय शर्तों पर किए जाते हैं, दोनों संस्थान परियोजनाओं की सुदृढ़ता का आंकलन करने में समान मानकों का उपयोग करते हैं। यह निर्णय कि क्या कोई परियोजना IBRD या IDA से वित्तपोषण प्राप्त करेगी, देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं और परियोजना की विशेषताओं पर नहीं।

वैश्वीकरण, विश्व बैंक और आई एम एफ

वैश्वीकरण - वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विचारों, लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी के निरंतर मुक्त प्रवाह से अर्थव्यवस्थाओं और समानों का एकीकरण होता हैं अक्सर इसे एक अपरिवर्तनीय शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसे कुछ राष्ट्रों और संस्थानों के द्वारा दुनिया पर थोपा जा रहा हैं। जैसे कि आईएमएफ आर विश्व बैंक। हालांकि, ऐसा नहीं हैं : वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के पक्ष में एक राजनीतिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता हैं, जो कि अधिकांश भाग लोकतंत्र के समेकन के साथ हाथ से चला गया हैं। ठीक हैं क्योंकि यह एक विकल्प हैं, इसे चुनौती दी जा सकती हैं, और यहाँ तक कि बदला भी जा सकता हैं - लेकिन केवल मानवता के लिए बड़ी कीमत पर आईएमएफ का मानना है कि वैश्वीकरण में विकास में योगदान करने की काफी संभावना है जो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस - आईएमएफ और विश्व बैंक - की भूमंडलीकरण के काम को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है । वे 1944 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक एकीकरण के लाभों को बहाल करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए बनाए गए थे।

ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के पास इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनकी सर्वसम्मति - निर्माण की संस्कृति हैं, जो 180 से अधिक देशों के बीच विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है - और उनकी सरकारें - जो उनकी सदस्यता बनाती है । हालांकि, दोनों संस्थान परिवर्तन और आंतरिक सुधार की आवश्यकता को भी समझते हैं। आईएमएफ ने हाल के वर्षों में कई सुधारों को लागू किया हैं, इसकी सहकारी प्रकृति को मजबूत करने और सदस्यों की सेवा करने की क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है । कई देश अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के शुरुआती चरण में हैं। फिर भी, उन्हें अभी भी अपने लाभ के लिए वैश्वीकरण का काम करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को खोलने वाले देश में आवश्यक संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की संस्थागत क्षमता होनी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) 1995 में अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे युवा में से एक, डब्ल्यूटीओ 1947 में स्थापित टैरिफ ऐंड ट्रेड पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) का उत्तराधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का प्रस्ताव (आईटीओ) 1947 में व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने में सफल नहीं हुआ। गैट एक अंतरिम समझौता था और 1995 में डब्ल्यूटीओ के गठन तक व्यापार वार्ता के कई दौर हुए, इसलिए जब तक डब्ल्यूटीओ अपेक्षाकृत युवा है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो कि मूल रुप से गेट के तहत्त स्थापित किया गया था 70 साल से अधिक पुराना है । वार्ता वहीं समाप्त नहीं हुई। 1997 में, दूरसंचार सेवाओं पर एक समझौता हुआ, जिसमें 69 सरकारें उरुग्वे में व्यापक स्तर पर उदारीकरण के उपायों पर सहमत हुए जो उरुग्वे दौर की वार्ता से बढ़कर था । एक ही वर्ष में, 40 सरकारों ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में टैरिफ-मुक्त व्यापार के लिए वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न की और 70 सदस्यों ने बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और वित्तीय सूचनाओं में 95 प्रतिशत से अधिक व्यापार को कवर करने वाली वित्तीय सेवाओं का सौदा सन् 2000 में, कृषि और सेवाओं पर नई बातचीत शुरु हुई । इन्हें एक व्यापक कार्यक्रम में शामिल किया गया, दोहा विकास एजेंडा, नवंबर 2001 में दोहा, कतर में चौथे विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया। 2013 में बाली में 9 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, व्यापार सुविधा के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने समझौता किया, जो लाल टेप को गिराकर सीमा विलंब को कम करने का लक्ष्य रखता हैं। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है जो 164 सदस्य देशों से बना हैं जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है । इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सहज और अनुमानित रूप से प्रवाहित हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक व्यापार सौदों को फिर से संगठित करने के अपने व्यापक प्रयासों के तहत, रष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डब्ल्यूटीओ को "आपदा" बताते हुए इससे अलग होने की बात की हैं। यदि अमेरिका ने WTO को छोड़ दिया, तो वैश्विक व्यापार में खरबों डॉलर का व्यापार बाधित होगा।

विश्व व्यापार संगठन की कार्य शैली

निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, (हालांकि बहुसंख्यक वोट भी शासन कर सकता हैं)। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित, मंत्रिस्तरीय समिति, जो हर दो साल में कम से कम बैठकें करती हैं, शीर्ष निर्णय लेती हैं। एक वस्तु (GOOD) परिषद्, सेवा परिषद् और बौद्धिक संपदा अधिकार परिषद् भी हैं, जो सभी विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद् को रिपोर्ट करती हैं। अतः इसमें, कई कार्यकारी समूह और समितियाँ हैं। यदि कोई व्यापार विवाद होता हैं, तो WTO इसे हल करने के लिए काम करता हैं। उदाहरण के लिए,

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अध्याय – 1

अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष **2025-26** के लिए **₹18.75 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान यह ₹17.01 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **10.24 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹9.82 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2024-25 के ₹9.04 लाख करोड़ से **8.66 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष **2025-26** के लिए **₹16.85 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान यह ₹15.25 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **10.48 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹8.59 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2024-25 के ₹7.89 लाख करोड़ से **8.90 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष **2025-26** में **₹2,02,349** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2024-25 की ₹1,85,095 से **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाती है। **स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2025-26** में **₹1,03,189** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2024-25 की ₹95,762 से **7.76 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाती है।

☞ **आर्थिक विकास के मुख्य सूचक:-**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26^
1.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	**7,25,464**	7,71,631	8,30,724	9,03,564	**9,81,807**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	**11,95,641**	13,48,693	15,22,063	17,01,190	**18,75,413**
2.	**GSDP वृद्धि दर**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	प्रतिशत	**8.93**	6.36	7.66	8.77	**8.66**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	**17.46**	12.80	12.85	11.77	**10.24**
3.	**GSVA - स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान**						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	**28.18**	27.62	27.05	27.05	**25.33**
	(ब) उद्योग	प्रतिशत	**28.62**	28.12	28.66	28.21	**28.21**
	(स) सेवाएँ	प्रतिशत	**43.20**	44.26	44.29	44.74	**46.46**
4.	**GSVA - प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान**						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	**28.54**	27.59	27.40	27.13	**25.74**
	(ब) उद्योग	प्रतिशत	**27.90**	27.38	27.92	27.05	**26.55**
	(स) सेवाएँ	प्रतिशत	**43.56**	45.03	44.68	45.82	**47.71**
5.	**शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	**6,34,247**	6,74,018	7,24,575	7,89,133	**8,59,333**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	**10,70,324**	12,02,344	13,61,835	15,25,291	**16,85,118**
6.	**प्रति व्यक्ति आय (PCI)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹	**79,490**	83,561	88,868	95,762	**1,03,189**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	**1,34,143**	1,49,060	1,67,027	1,85,095	**2,02,349**

7.	**सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रचलित मूल्यों पर)**	₹ करोड़	**3,42,374**	3,90,245	4,49,352	5,02,412	—
8.	**कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार 2005-08=100)**	—	**201.57**	209.63	214.92	243.55	—
9.	**कुल खाद्यान्न उत्पादन**	लाख MT	**231.92**	252.80	240.92	309.62	**283.98**
10.	**औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12=100)**	—	**133.97**	136.93	153.46	154.38	**153.29**
11.	**थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1999-2000=100)**	—	**371.22**	388.45	388.09	396.72	**399.13**
	प्रतिशत परिवर्तन	प्रतिशत	**9.93**	4.64	-0.09	2.18	**0.76**
12.	**अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)**	मेगावाट	**23,452**	23,509	24,784	27,284	**31,556**
13.	**वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर तक)**	₹ करोड़	**3,75,030**	3,75,030	5,37,597	6,11,546	**6,91,943**

संकेतों का अर्थ:

- संशोधित अनुमान (Revised Estimates - I)
- अग्रिम अनुमान (Advance Estimates)
- **लख MT:** लाख मैट्रिक टन

- **प्रमुख आर्थिक निष्कर्ष:**

- **विकास दर:** स्थिर मूल्यों पर GSDP की वृद्धि दर **8.66 प्रतिशत** रहने का अनुमान है।
- **प्रति व्यक्ति आय:** प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर **₹2,02,349** हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है।
- **ऊर्जा:** राज्य की ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2025 तक **31,556.43 मेगावाट** तक पहुँच गई है।
- **बैंक साख:** राज्य में ऋणों के वितरण में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो सितंबर 2025 तक **₹6,91,943 करोड़** रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान (2025-26)

विवरण	**इकाई/आधार**	**आँकड़े**
अर्थव्यवस्था का आकार (प्रचलित मूल्यों पर)		
अखिल भारत	₹ लाख करोड़	**357.14**
राजस्थान	₹ लाख करोड़	**18.75**
भारत की जी.डी.पी. में राज्य का प्रतिशत योगदान	प्रचलित मूल्यों पर	**5.25%**
जीडीपी / जीएसडीपी विकास दर (%)	स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	
भारत	प्रतिशत	**7.4**
राजस्थान	प्रतिशत	**8.66**
प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित मूल्यों पर)		
भारत	₹	**2,19,575**
राजस्थान	₹	**2,02,349**
सामाजिक संकेतक		
साक्षरता दर (%)	जनगणना 2011	भारत: **73.0** / राजस्थान: **66.1**
जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या पर)	एस.आर.एस. 2023	भारत: **18.4** / राजस्थान: **22.9**
कार्य भागीदारी दर (%)	जनगणना 2011	भारत: **39.8** / राजस्थान: **43.6**
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	जनगणना 2011	

भौगोलिक क्षेत्र (लाख वर्ग कि.मी.)		भारत: **32.87** / राजस्थान: **3.42**
जनसंख्या		भारत: **121.09 करोड़** / राजस्थान: **6.85 करोड़**
लिंगानुपात (महिलाएं प्रति 1000 पुरुष)		भारत: **943** / राजस्थान: **928**

राजस्थान में भौतिक आधारभूत संरचना	
	स्थापित विद्युत क्षमता (मेगावाट) भारत : 5,09,743 मेगावाट (दिसंबर 2025 तक) राजस्थान : 30,525 मेगावाट (दिसंबर 2025 तक)
	सड़क घनत्व (प्रति 100 वर्ग कि.मी.) भारत : 161.71 कि.मी. राजस्थान : 92.66 कि.मी. (मार्च 2024 के अंत तक)
	डाक और दूरसंचार **डाक घर** भारत : 1,56,721 राजस्थान : 10,287 **दूरसंचार ग्राहक (करोड़)** भारत : 120.12 राजस्थान : 6.68

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- **<u>थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक</u>**
- राज्य का सामान्य **थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100)** वर्ष 2024 के 394.68 से बढ़कर **वर्ष 2025 में 399.13** हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **1.13 प्रतिशत** की मामूली वृद्धि दर्शाता है। वस्तु समूहों के अनुसार, **प्राथमिक वस्तु समूह** की कीमतों में 1.71 प्रतिशत, **विनिर्मित उत्पाद समूह** में 1.20 प्रतिशत तथा **ईंधन, बिजली, प्रकाश एवं स्नेहक समूह** में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत, अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) वर्ष 2024 के 153.9 से बढ़कर 2025 में 154.9 हो गया है, जो 0.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए राज्य में अजमेर केंद्र के स्थान पर **अलवर केंद्र** को शामिल किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016=100)** वर्ष 2025 में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है। वर्ष 2024 की तुलना में **अलवर केंद्र में 2.02 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 2.62 प्रतिशत और जयपुर केंद्र में 1.88 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 2.75 प्रतिशत रही।
- **बैंकिंग एवं वित्त**
- राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क अत्यंत सुदृढ़ है। सितम्बर, 2025 तक राजस्थान में कुल **9,172 बैंक शाखाएँ/कार्यालय** कार्यरत हैं। इनमें **4,619 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**, 1,628 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2,301 निजी क्षेत्र के बैंक, 7 विदेशी बैंक, 577 लघु वित्त बैंक और 40 भुगतान बैंक शाखाएँ शामिल हैं। राज्य में औसतन प्रति एक लाख जनसंख्या पर 11 बैंकिंग कार्यालय उपलब्ध हैं।
- राजस्थान में सितम्बर, 2025 तक बैंकों में **कुल जमा राशि ₹7,72,147 करोड़** रही, जो सितम्बर, 2024 की तुलना में **9.75 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर जमा राशि में 9.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साख (ऋण) वितरण के मामले में, राजस्थान के बैंकों ने सितम्बर, 2025 तक ₹6,91,943 करोड़ का ऋण वितरित किया है, जो 13.15 प्रतिशत की

अध्याय – 4

ग्रामीण विकास

राजस्थान में **ग्रामीण विकास** के लिए एक विकेंद्रीकृत ढांचा अपनाया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार **'विकसित राजस्थान @2047'** के विजन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका):

स्थापना और उद्देश्य

- **राजीविका की स्थापना** ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में **अक्टूबर, 2010** में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- यह संस्था **राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958** के तहत पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए एक स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थागत आधार तैयार करना है ताकि संवहनीय आजीविका के माध्यम से उनकी घरेलू आय में वृद्धि की जा सके।
- यह परिषद् ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और लक्षित सार्वजनिक सेवाओं तक निर्धनों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्य करती है।

संस्थागत ढांचा और प्रगति

- राजीविका के तहत ग्रामीण परिवारों की पहचान **सहभागिता पहचान प्रक्रिया (PIP)** और **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)** के माध्यम से की जाती है।
- अब तक लगभग **51.01 लाख गरीब परिवारों** को राजीविका से जोड़ा जा चुका है।
- इन परिवारों को **4.29 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs), 32,061 ग्राम संगठनों (VOs)** और **1,078 क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs)** में संगठित किया गया है।

- **वित्तीय समावेशन**

- स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बैंकों में उनके बचत खाते खुलवाए जाते हैं और बैंकों के माध्यम से अब तक **₹10,788.96 करोड़ का ऋण** प्रदान किया गया है।
- दिसम्बर 2025 तक, **डिजिटल पेमेन्ट सखी (BC सखी)** के रूप में कार्यरत महिलाओं ने ₹671.07 करोड़ का लेनदेन किया है।

- **महिला सशक्तिकरण और प्रमुख योजनाएं**

- **लखपति दीदी कार्यक्रम:** इस पहल के तहत अब तक **12.98 लाख महिलाओं** को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है।
- **नमो ड्रोन दीदी योजना:** राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में **50 कृषि ड्रोन** वितरित किए गए हैं, जिनका उपयोग लगभग 12,500 एकड़ भूमि पर छिड़काव हेतु किया गया है।
- **महिला उद्यम:** ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **54,879 से अधिक महिला उद्यम** (जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, किराना स्टोर आदि) स्थापित किए गए हैं।
- **रिटेल और कैंटीन:** स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य में **11 रिटेल स्टोर** खोले गए हैं और जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर महिलाओं द्वारा **254 कैंटीन** का संचालन किया जा रहा है।
- **उड़ान योजना:** सभी जिलों में सेनेटरी पैड निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से दिसम्बर 2025 तक **63 लाख सेनेटरी पैड** वितरित किए गए हैं।

डिजिटल और तकनीकी पहल

- **राज सखी मोबाइल ऐप:** सखी संवर्गों (जैसे पशु सखी, कृषि सखी) के नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है।
- वर्तमान में राज्य में **36,787 कृषि सखी** कार्यरत हैं जो आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रचार-प्रसार कर रही हैं।
- **बर्तन बैंक:** 1,000 ग्राम पंचायतों में महिला समूहों द्वारा प्रबंधित बर्तन बैंक स्थापित किए गए हैं, जो सामुदायिक आय का एक नया स्रोत बने हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे अब **दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM)** के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है,। राजस्थान में इस मिशन का क्रियान्वयन **राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका)** द्वारा किया जा रहा है,।

इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

1. मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को संगठित और मजबूत करना।
- ग्रामीण निर्धनों के लिए **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देना और ऋणों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करना,।
- **महिला सशक्तिकरण** को सुदृढ़ करना और उनकी घरेलू आय में वृद्धि करना।

- कृषि और गैर-कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों में **विविधीकरण** को सहायता प्रदान करना।

2. स्वयं सहायता समूह (SHG) और संस्थागत प्रगति

- दिसम्बर 2025 तक राज्य में कुल **4,29,525 स्वयं सहायता समूहों** का गठन किया जा चुका है।
- अकेले वर्ष 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान **16,952 नए समूहों** का गठन किया गया है।

राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

- **<u>माह दिसम्बर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियां</u>**
- वर्तमान में यह परियोजना राज्य के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है। 38,452 गांवों में कुल 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) बनाए गए हैं, जिससे 51.01 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- 32,061 से अधिक ग्राम संगठन (वी.ओ.) और 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.) जुड़े हुए हैं, जो वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- राजीविका के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए ₹2,116.03 करोड़ आवंटित किए गए हैं एवं ₹10,788.96 करोड़ के बैंक ऋण प्रदान किये गये हैं।
- राजस्थान महिला कोष के माध्यम से राजीविका की 1,54,861 महिलाओं को लगभग ₹735 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ये ऋण 2.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, जिसमें 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
- कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 36.03 लाख गरीब परिवार लाभान्वित हुये हैं।
- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आजीविका संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कम्पनियां स्थापित की गई हैं।
- 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में ₹41.89 करोड़ की लागत से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। अब तक 30,033 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) परिवारों से ₹500 करोड़ का दूध खरीदा गया है, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है।
- कोटा और बारां जिलों में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए ₹17.39 करोड़ के निवेश से हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इस पहल से 18,345 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिसका कुल कारोबार ₹34.20 करोड़ रहा है।
- कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3,237 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिससे 2.32 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से जुड़े हैं।
- 65 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाए गए हैं, जिससे 45,531 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

<u>नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी एवं कृषि सखी</u>

- नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन एवं उनके परिवहन के लिए वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। यह पहल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी।
- नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। ड्रोन दीदियों

2. प्रमुख सिफारिशें (वित्तीय हस्तांतरण)

- **राजस्व हिस्सेदारी:** आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य के स्वयं के **शुद्ध कर राजस्व (Net Tax Revenue) का 6.75%** स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- **नोट:** वर्ष 2024-25 के लिए इस हस्तांतरण प्रतिशत को बढ़ाकर **7%** कर दिया गया है।
- **जनगणना आधार:** यह वितरण **2011 की जनगणना** की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

3. वितरण अनुपात (PRI और ULB)

- **मुख्य वितरण:** कुल हस्तांतरित राशि का **75.1% पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** को और **24.9% नगरीय निकायों (ULBs)** को दिया जाता है।
- **संशोधन:** नए नगरीय निकायों के गठन के कारण, वर्ष 2024-25 के लिए इस अनुपात को संशोधित कर पंचायतों के लिए **73.2%** और नगरीय निकायों के लिए **26.8%** कर दिया गया है।

4. पंचायती राज में आंतरिक वितरण (5:20:75)

पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि का वितरण तीनों स्तरों पर निम्नानुसार किया जाता है:

1. **जिला परिषद:** 5 प्रतिशत।
2. **पंचायत समिति:** 20 प्रतिशत।
3. **ग्राम पंचायत:** 75 प्रतिशत।

5. अनुदान का उपयोग (Earmarking)

आयोग ने अनुदान राशि के उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं:

- **55% राशि:** मूलभूत और विकास कार्यों (जैसे स्वच्छता, पेयजल, सड़क रोशनी) के लिए।
- **40% राशि:** राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकताओं की योजनाओं (जैसे कोविड-19 रोकथाम, स्वच्छ भारत अभियान) के लिए।
- **5% राशि:** प्रदर्शन (Performance) के आधार पर प्रोत्साहन अनुदान के रूप में।

अध्याय – 7
शिक्षा

राजस्थान में शिक्षा को मानव संसाधन विकास तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण का प्रमुख आधार माना गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक समावेशी, प्रौद्योगिकी-आधारित तथा छात्र-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली विकसित करना है। शिक्षा को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल नवाचार और अनुसंधान से जोड़कर राज्य को प्रतिस्पर्धी ज्ञान केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में **"विज़न 2047" (Vision 2047)** का लक्ष्य राज्य को एक **ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge-based Economy)** के रूप में स्थापित करना है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. विज़न 2047: मूल अवधारणा (Concept)

विज़न 2047 का उद्देश्य वर्ष 2047 तक राजस्थान में एक ऐसी शिक्षण प्रणाली विकसित करना है जो:

- **विद्यार्थी-केंद्रित (Student-centric):** जहाँ सीखने की प्रक्रिया छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- **समावेशी (Inclusive):** समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित (Technology-driven):** आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर शिक्षण को प्रभावी बनाना।

2. मुख्य स्तंभ (Key Pillars)

विज़न 2047 तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है:

1. **पहुँच (Access):** दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुँचाना।
2. **समानता (Equity):** क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना।
3. **उत्कृष्टता (Excellence):** वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

3. भविष्य का पाठ्यक्रम और कौशल (Future Curriculum & Skills)

2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे:

- **बहुविषय शिक्षण (Multi-disciplinary Teaching):** केवल एक विषय तक सीमित न रहकर विभिन्न विषयों का एकीकृत ज्ञान देना।
- **कौशल विकास:** छात्रों को **आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking)**, रचनात्मकता, कार्यात्मक कौशल और **सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills)** में सक्षम बनाया जाएगा।

स्कूल शिक्षा का ढांचा (Statistical Overview)

राज्य में स्कूली शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों में विभाजित है, जो बच्चों के बौद्धिक और सामाजिक विकास की नींव रखती है:

- **राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय:** 44,934
- **राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय:** 19,950
- **कुल नामांकन:** सरकारी स्कूलों में लगभग **72.93 लाख** विद्यार्थी नामांकित हैं।
- **छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था:** 1,364 उच्च माध्यमिक विद्यालय विशेष रूप से बालिकाओं के लिए संचालित हैं।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं और पहल:

1. **प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति **SC, ST, OBC, SBC और DTNT** सीमांत क्षेत्र (OBC) के छात्रों को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना पर 2,224.10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) में प्रारंभिक शिक्षा के तहत 20.04 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।
2. **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना:** इस योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा **1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों** को निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराती है। माध्यमिक शिक्षा के तहत, कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं, SC/ST के छात्रों और उन छात्रों को भी पुस्तकें दी जाती हैं जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं,। वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को 4.05 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया है।
3. **निःशुल्क साईकिल वितरण योजना:** राजकीय विद्यालयों की **कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्ग की छात्राओं** को साईकिलें दी जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के दौरान 3,69,517 साईकिलें वितरित की गईं। सत्र 2025-26 के लिए 3.34 लाख साईकिलों की आपूर्ति का आदेश जारी किया गया है।
4. **गार्गी पुरुस्कार योजना:** वर्ष 2023-24 के दौरान, **91,929 बालिकाओं** को इस पुरस्कार से लाभान्वित किया गया, जिस पर 2,757.87 लाख रुपये की राशि खर्च हुई। यह पुरस्कार मेधावी छात्राओं को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
5. **बालिका प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के माध्यम से **72,275 बालिकाओं** को लाभ पहुँचाया गया, जिस पर कुल 3,613.75 लाख रुपये व्यय किए गए।
6. **मेधावी छात्रों को निःशुल्क टेबलेट:** स्रोतों के अनुसार, 'मिशन बुनियाद' के विस्तार के तहत सभी 33 जिलों में **ICT और टेबलेट लैब** के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोविड के कारण हुए सीखने के नुकसान की भरपाई की जा सके। राज्य ने छात्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी संचालित की हैं।
7. **महात्मा गाँधी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम):** राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की सुविधा देने के लिए इन्हें शुरू किया गया। वर्तमान में राज्य में **3,737 महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय** संचालित हैं, जिनमें 7.11 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं,,।
8. **ज्ञान संकल्प पोर्टल:** यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो दानदाताओं, भामाशाहों और औद्योगिक संगठनों (CSR) से फंड जुटाकर **राजकीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने** का काम करता है,। वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) में इसके माध्यम से 34.38 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।
9. **मुख्यमंत्री संबल योजना:** यह योजना **विधवा और परित्यक्ता महिलाओं** के लिए है। इसके तहत निजी संस्थानों से प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed) करने वाली महिलाओं को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है,। वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) में

अध्याय – 9

राजस्थान सरकार की मुख्य जनकल्याणकारी योजनाएं

- **लैंगिक सशक्तिकरण एवं समावेशन**

शैक्षिक विकास

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ — One Liner Points

- भारत सरकार की **बालिका कल्याण एवं लिंग समानता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना।**
- उद्देश्य: **लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना।**
- गतिविधियाँ: **जागरूकता बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, सांस्कृतिक व मीडिया कार्यक्रम।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक): **₹5.70 करोड़ आवंटन | ₹4.20 करोड़ व्यय।**
- **बेटी जन्मोत्सव के तहत 1.04 लाख बालिकाओं के जन्मोत्सव आयोजित।**

काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना —

- प्रारम्भ: **2019-20।**
- उद्देश्य: **विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं व बालिकाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा का अवसर।**
- क्रियान्वयन: **राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से।**
- लाभ: **प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा व प्रायोगिक शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा।**

- **आर्थिक विकास (महिला सशक्तिकरण) —**

अमृता हाट (SHG Support): स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के **प्रदर्शन, विपणन व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मंच;** 2025-26 में **₹1.80 करोड़ प्रावधान | ₹76.95 लाख व्यय | 10 हाट आयोजित | 1,270 SHG लाभान्वित;** SHG को **IITF, शिल्प ग्राम उत्सव व अन्य मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहन।**

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: महिला उद्यमियों को **नए उद्यम प्रारम्भ व व्यवसाय विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, कौशल व संसाधन समर्थन; ₹50 लाख तक ऋण (व्यक्तिगत/SHG) व ₹1 करोड़ (SHG क्लस्टर/फेडरेशन);** 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹30 करोड़ प्रावधान | ₹10 करोड़ व्यय | ₹103.67 करोड़ के 976 ऋण स्वीकृत।**

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना: महिलाओं की **रोजगार क्षमता, कौशल उन्नयन व आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण;** 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹56 करोड़ प्रावधान | ₹14.87 करोड़ व्यय;** प्रमुख प्रशिक्षण—

- **RS-CIT (डिजिटल साक्षरता): 74,001 प्रशिक्षु**
- **RS-CFA (वित्तीय साक्षरता): 4,979 प्रशिक्षु**
- **RS-CSEP (स्पोकन इंग्लिश व व्यक्तित्व विकास): 3,607 प्रशिक्षु**

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम / जॉब वर्क योजना: महिलाओं को **घर से रोजगार के अवसर (टेक्सटाइल, डिजिटल कार्य, ट्यूशन, डेटा एंट्री, GST फाइलिंग, वेब डिजाइन, आभूषण निर्माण आदि);** दिसम्बर 2025 तक **147 जॉब प्रदाता पंजीकृत | 47,462 रोजगार अवसर सृजित | 5,952 महिलाएँ लाभान्वित।**

- **कौशल सामर्थ्य पहल:** महिलाओं के **कौशल आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सहायक कार्यक्रम** (विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से)।

- **सामाजिक कल्याण योजनाएँ —**

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता हेतु संचालित; **SC/ST/अल्पसंख्यक BPL परिवारों की 18+ आयु की कन्याओं को ₹31,000,** साथ ही **10वीं उत्तीर्ण पर ₹10,000 व स्नातक पर ₹20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन;** अन्य पात्र वर्ग (BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारक, विधवा, दिव्यांग, पालनहार लाभार्थी, महिला खिलाड़ी) को **₹21,000 + शैक्षिक प्रोत्साहन;** 2025-26 (दिसम्बर तक) **7,269 कन्याएँ लाभान्वित | ₹33.86 करोड़ व्यय।**

- **विधवा विवाह उपहार योजना:** पेंशनधारी विधवा महिला के पुनर्विवाह पर **₹51,000 की आर्थिक सहायता** प्रदान; सामाजिक पुनर्वास व पुनर्विवाह को प्रोत्साहन; 2025-26 (दिसम्बर तक) **5 लाभार्थी | ₹2.55 लाख व्यय।**
- **मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना:** उज्वला एवं चयनित BPL (अब NFSA) परिवारों को **₹450 की रियायती दर पर LPG सिलेंडर (अधिकतम 12/वर्ष);** घरेलू ऊर्जा व्यय में कमी व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा; 2025-26 (दिसम्बर तक) **2.18 करोड़ रिफिल | ₹487.86 करोड़ सब्सिडी।**
- **किशोरी बालिका योजना:** 14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के **शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व आत्मनिर्भरता** हेतु; क्रियान्वयन **5 आकांक्षी जिलों—बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही** में; **29,368 किशोरियाँ सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित;** 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹11.22 करोड़ प्रावधान | ₹5.58 करोड़ व्यय।**
- **महिला कल्याण कोष:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के **सामाजिक सुरक्षा व कल्याण** हेतु; राज्य द्वारा **अर्द्धवार्षिक अंशदान—₹750 (कार्यकर्ता), ₹376 (सहायिका/आशा);** प्रत्येक सदस्य को **₹10,000 बीमा संरक्षण + संचित बचत राशि पर ब्याज;** सेवा समाप्ति पर **संचित राशि वापसी;** 2025-26 बजट **₹5.14 करोड़।**

- **महिला विकास कार्यक्रम**
- **साथिनों के माध्यम से क्रियान्वयन**, महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता।
- सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, उत्पीड़न व शोषण के विरुद्ध कार्य।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा साथिन का चयन।**
- अप्रैल 2025 से **मानदेय ₹5,844 → ₹6,428 प्रति माह।**
- वर्तमान में **10,908 साथिन कार्यरत।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹76.38 करोड़ प्रावधान | ₹61.95 करोड़ व्यय।**

- **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना**
- उद्देश्य: **दहेज प्रथा हतोत्साहित करना व विवाह व्यय कम करना।**
- प्रति दंपति **₹25,000 अनुदान (₹21,000 वधू + ₹4,000 आयोजन संस्था)।**
- **कम से कम 25 जोड़ों (5 समुदाय/जाति/धर्म) के सामूहिक विवाह पर आयोजक को ₹10 लाख सहायता।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹5.94 करोड़ व्यय | 2,202 जोड़े लाभान्वित।**

लाडो प्रोत्साहन योजना
- प्रारम्भ: **1 अगस्त 2024**; उद्देश्य: **बालिका जन्म प्रोत्साहन व लैंगिक समानता।**
- **₹1.50 लाख वित्तीय सहायता 7 किश्तों में** (6 अभिभावक, 1 बालिका खाते में)।
- पात्रता: **माता राजस्थान निवासी व जन्म JSY के तहत संस्थागत।**
- लक्ष्य: **शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, बाल विवाह रोकथाम, MMR/IMR कमी।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹320 करोड़ प्रावधान | ₹217.63 करोड़ व्यय | 3.27 लाख बालिकाएँ लाभान्वित।**

- **कालीबाई भील उड़ान योजना**
- उद्देश्य: **महिलाओं/किशोरियों (10-45 वर्ष) को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन।**
- क्रियान्वयन: **RMSC व राजीविका द्वारा खरीद व वितरण (आंगनवाड़ी/विद्यालय)।**
- वर्तमान: **1.22 करोड़ लाभार्थी प्रति माह।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक) **₹91.50 करोड़ व्यय।**

181 महिला हेल्पलाइन
- उद्देश्य: **महिलाओं को शोषण से सुरक्षा व त्वरित सहायता (24×7 सेवा)।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक) **4,098 मामलों में रेफरल सहायता।**

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2013 (कार्यान्वयन)
- **10+ कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति गठन अनिवार्य।**
- प्रत्येक जिले में **स्थानीय समिति का गठन।**
- अधिनियम जागरूकता हेतु **राज्य/जिला स्तर कार्यशालाएँ आयोजित।**

- **त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति**
- उद्देश्य: **अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की शिकायत निवारण।**
- स्तर: **विभागीय (आयुक्त), जिला (कलेक्टर), उप-जिला (SDM)।**
- सदस्य: **पुलिस, श्रम, उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा, सामाजिक न्याय व NGO प्रतिनिधि।**
- **जिला महिला सहायता समिति को इसमें समाहित किया गया।**

- **मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना**
- उद्देश्य: **मातृ स्वास्थ्य सुधार, स्वस्थ गर्भावस्था परिणाम व कुपोषण न्यूनीकरण।**
- लाभार्थी: **2.35 लाख गर्भवती महिलाएँ (अंतिम 5 माह)।**
- वितरण: **आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण किट।**
- किट सामग्री: **खजूर, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़, मखाना।**
- बजट 2025-26: **₹25 करोड़ (राज्य निधि)।**

कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान
- स्थापना: **HCM RIPA, जयपुर में महिला सशक्तीकरण हेतु।**
- वर्तमान: **प्रबंध अध्ययन केन्द्र (CMS) के अधीन कार्यरत।**
- कार्य: **महिला योजनाओं का मूल्यांकन, शोध, प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता।**
- गतिविधियाँ: **महिला हेल्पलाइन व वन स्टॉप सेंटर सलाहकार प्रशिक्षण (NIMHANS, CDAC सहयोग)।**
- उपलब्धि: **जेंडर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल विकसित।**

मिशन शक्ति (राज्य हब)
- उद्देश्य: **महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण व सशक्तीकरण (अम्ब्रेला योजना)।**
- उप-योजना: **'सामर्थ्य' के अंतर्गत राज्य व जिला महिला सशक्तीकरण हब स्थापित।**
- वित्तीय अनुपात: **केंद्र : राज्य = 60 : 40।**
- 2025-26 (दिसम्बर तक): **₹7.07 करोड़ प्रावधान | ₹6.09 करोड़ व्यय।**

- **पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना**
- उद्देश्य: **महिला सशक्तीकरण में योगदान देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को सम्मान।**